राजस्थान सरकार

अपील अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

जयपुर

अपील संख्या ..../2017

Clause-8 of Annexure-IX (Guideline for debarring of product /company).

M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt Ltd 4587 1199/3 Bhud Baddi Distt. Solan (H.P.)

बनाम

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

निर्णय दिनांक 28.03.2017

प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 28.03.2017 को की गई। अपीलान्ट फर्म की ओर से फर्म के प्रतिनिधि तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक व फार्मासिस्ट उपस्थित हुये। अपीलान्ट फर्म एवं रेस्पोन्डेन्ट, दोनों पक्षकारों को सुना गया। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है :--

M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt Ltd, 1199/3, Bhud, Baddi, Distt. Solan, (HP) की वर्ष 2014-15 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02 (150)/ RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2015/375 दिनांक 03.03.2015 के तहत औषधि Calcium and Vitamin D3 Suspension [441] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था।

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के आदेश क्रमांक 1205 दिनांक 27/10/2015 द्वारा निगम के द्वारा औषधियों के लिए जारी की गयी निविदा क्रमांक F.02 (150)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2015/375 दिनांक 03/03/2015 के तहत औषधियों Calcium and Vitamin D3 Suspension [441] व Pregabalin Capsule IP 75mg [634] की निविदा में भाग लेने वाली फर्म M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt Ltd, 1199/3, Bhud, Baddi, Distt. Solan, (HP) को

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के साथ समस्त दर अनुबन्ध निरस्त करते हुए निगम द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिये डिबार किया गया। डिबार की अवधि आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी थी।

फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि फर्म द्वारा गत 5 वर्षो से निगम में औषधियॉ सप्लाई की जा रही है तथा प्रार्थी इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि निगम में सप्लाई की गई औषधीयों को प्रत्येक बैच की वितरण से पूर्व जांच की जाती है अतः उत्पाद के निर्माण में समस्त सावधानी रखी जाती है। उक्त उत्पाद Calcium and Vitamin D3 Suspension में घटक Vitamin D3 की जांच में गुणात्मक मात्रा कम पायी गयी है। कम्पनी के प्रतिनिधि ने बताया कि औषधि Calcium and Vitamin D3 Suspension में घटक Vitamin D3 ताप अस्थिर (thermolabile) प्रकृति का है जो कि अपघटित हो जाता है एवं उक्त उत्पाद की कुल कीमत करीब 32 लाख में से Vitamin D3 की मात्रा 14000/– रू है जो कि कुल कीमत का 0.4%, है अतः Vitamin D3 का मिश्रण उत्पाद Calcium and Vitamin D3 Suspension में नहीं किया गया हो, यह सही नहीं है तथा फर्म द्वारा समस्त अवमानक स्तर के स्टॉक को लिफ्ट कर नये मानक कोटि के स्टॉक से रिप्लेस करने हेतु भी निवेदन किया गया था।

इसके साथ ही तथा अन्य औषधि Pregabalin Capsule IP 75mg [634] के वैधानिक नमूने को राजकीय प्रयोगशाला द्वारा मानक कोटि का घोषित किया गया है। उक्त दोनों प्रकार के उत्पादों का वितरण मरीजो में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तत्समय फर्म के लगभग 46 अन्य उत्पाद भी आरएमएससी में आपूर्ति करने के लिए अनुमोदित थे।

उपरोक्त तथ्यों से तकनीकी त्रुटि का कारण बोनाफाईड प्रतीत होने एवं प्रतिबन्ध के आदेश के Multiple प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी फर्म M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt Ltd, 1199/3, Bhud, Baddi, Distt. Solan, (HP) को निगम के आदेश दिनांक 29.07.2016 से किये गये डिबार की प्रभावी अवधि में, शिथिलता प्रदान करते हुए आदेश सं. प.05 (पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2016/645 दिनांक 29.07.2016 से तीन वर्ष की अवधि को एक (1) वर्ष के लिए सीमित किया जाता है।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग